


प्रस्तुप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (GWALIOR), मध्यप्रदेश

दरभाज़:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:-/040212282/स्कूल आई.डी. - 32972
प्रति,

दिनांक:- 17/04/2017

प्रबंधक,

(SANSKAR PUBLIC SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्तात्मकी पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -SANSKAR PUBLIC SCHOOL, Village & Post- Naugaon ,Distt.-Gwalior ,Madhya Pradesh को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्ययन होगी:-

- मान्यता: विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की सान्नियता/संबंधित की कोई मान्यता किसी भी रूप से दिलहित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचं 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचं 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दण में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बश्ते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 के उपांचा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रिस्कूल में प्रतेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सदूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पछात ऐसा प्रवेश घाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या भूलंगा, जन्मस्थान या हनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को आरीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विहित शिक्षकों की अवधि की जाएगी; बश्ते कि वर्तमान मैं कर्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंता प्राप्त करना होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीविंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवस्था का अनुसार करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में वर्चर्च का नामांकन किया जाएगा।



Report Generated from www.educationportal.mp.gov.in/ Date : 18/05/2018

Page 1 of 2

MANAGER
SANSKAR PUBLIC SCHOOL
Naugaon Distt. Gwalior (M.P.)
PIN-474001
CBSE Affi No.1030763 SCH Code-50729

PRINCIPAL
SANSKAR PUBLIC SCHOOL
Naugaon Distt. Gwalior (M.P.)
PIN-474001 50729
CBSE Affi No. 1030763 Sch Code-14661

गांधीप्रदेश शाराम
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ गवान, भोपाल-462004

कागांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

मान्यता के सम्बन्ध में लिखित नियम 21/05/2020 हारा ऐसे समर्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय (विनंक) मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है। उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु वाल शिक्षा से जुड़े प्रदान प्रदान कर्त्तव्य तुम्हें विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समर्यादिति हेतु समाप्त मान्य किया गया था।

1. सामान्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिक/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 हारा शिक्षामिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समर्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एकाइटी के आरटीई गोविल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने से जुड़े सभी बीमा नियम की गई है।

2. नियम 19 सम्बन्धि नियम 21 सम्बन्धि अशासकीय सरथाओं को सोने वाली कठिनाईयों एवं इनसों के वर्तमान में जुड़े हुए सज्ज सारान एवं हारा निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा के अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शासेयों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार विदेश जानी लिए जाते हैं-

3.1 नियम 19 सम्बन्धि अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदत्त में संचालित ऐसे समर्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रवलित ग्राक्या से जुड़े प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समर्यादिति हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 नियम 21 सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक विद्यालयों के निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अन्तर्गत जुड़े हुए गोवाइल एवं गुप्त्यन से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उक्त विद्यालय के अधिकार निराकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समर्यादिति हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.3 उपरकारानुसार ऐसी समर्त सरथाओं को निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय समालग हेतु आवश्यक यापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

नियमानुसार समर्त सरथियों हारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक जायेवाही की जाए।

Q.W
31.12.20
(कै.कै.द्विवेदी)
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
SANSKAR PUBLIC SCHOOL
Naugaon Distt. Gwalior (M.P.)
PIN-474001
CBSE Aff. No. 1030763 Sch Code-50729